राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

क्रमांकः एफ 8 ( )आ.कृ./NFSM/पी.एम.टी./2015–16/ दिनांक :

सेवानिवृत कार्मिको की सलाहकार/तकनीकी सहायक/लेखाकार के रूप में सेवायें लिये जाने हेतु विज्ञप्ति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु राज्य व जिला स्तर पर सलाहकार एवं तकनीकी सहायक तथा राज्य स्तर पर लेखाकार के रूप में एक वर्ष अथवा परियोजना/मिशन की अवधि समाप्त होने में से जो भी पहले हो, तक समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 21.01.2016 समय सायं 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। उक्त विज्ञप्ति मिशन अंतर्गत रिक्त संविदा पदो के लिये है। सलाहकार एवं तकनीकी सहायक के लिये राज्य सरकार के कृषि विभाग एवं इससे सम्बन्ध विभाग तथा लेखाकार के लिये राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा से निर्धारित योग्यता के सेवानिवृत कार्मिक द्वारा आवेदन किया जायेगा।

जिला दौसा, धौलपुर, भरतपुर एवं राजसमन्द के अतिरिक्त अन्य 29 जिलों के कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद से जिला स्तरीय तथा कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर के कमरा नम्बर 121 से राज्य स्तरीय संविदा पद हेतु आवेदन पत्र तथा विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदन पत्र प्रारुप तथा विस्तृत दिशा निर्देश विवरण विभागीय वेबसाइट – www.krishi.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ह0/–
शासन सचिव एवं आयुक्त
कृषि एवं उद्यानिकी

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

क्रमांकः एफ 8 ()आ.कृ./NFSM/पी.एम.टी./2015--16/ दिनांक :

निविदा शर्ते

1. कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन हेतु कृषि आयुक्तालय में गठित प्रकोष्ठ के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट टीम (पी.एम.टी.) में सलाहकार, तकनीकी सहायक एवं लेखाकार तथा राज्य के चयनित 29 जिलो के लिए सलाहकार एवं तकनीकी सहायक की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति पर लिए जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी सेवानिवृत्त कार्मिको से आवेदन आमत्रित किये जाते है।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट टीम (पी.एम.टी.) में सलाहकार, तकनीकी सहायक एवं लेखाकार के संविदा पद पूर्णरूप से अस्थायी है तथा भारत/राज्य सरकार के द्वारा उक्त का प्रावधान समाप्त करने पर स्वतः ही सेवाऐं समाप्त हो जायेगी।

2. पी.एम.टी.में सलाहकार एवं तकनिकी सहायक के लिये कृषि विभाग एवं इससे संबंधित विभाग से निर्धारित योग्यता के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अनु0 अधिकारी/कृषि अनु0 अधिकारी/सहायक निदेशक कृषि/उप निदेशक कृषि/संयुक्त निदेशक कृषि/अपर निदेशक कृषि के पद से सेवानिवृत कार्मिक द्वारा आवेदन किया जायेगा।

3. राज्य स्तरीय लेखाकार के एक संविदा पद के लिये राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा से निर्धारित योग्यता के सेवानिवृत कार्मिक द्वारा आवेदन किया जायेगा।

4. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र (परिशिष्ट--5) सादा कागज पर अथवा टंकित कर आवेदन कर सकता है, परन्तु इस प्रकार के आवेदन पत्रो मे चाही गई समस्त जानकारीयां एवं चाहे गये सत्यापित दस्तावेज व फोटो आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगें।

5. सभी दस्तावेजों व फोटो की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

6. जिला स्तर पर सलाहकार एवं तकनीकी सहायक की सेवाऐं के लिए संबंधित योग्यताधारी सेवानिवृत्त कार्मिक को निर्धारित प्रारुप में पुनर्नियुक्ति सेंवा हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेज के कार्यालय समय में संबंधित जिलें के कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद में प्रस्तुत कर करना होगा।

7. राज्य स्तरीय सलाहकार, तकनीकी सहायक एवं लेखाकार की सेवाऐं के लिये संबंधित योग्यताधारी सेवानिवृत्त कार्मिक को निर्धारित प्रारुप में पुनर्नियुक्ति सेंवा हेतु आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य), जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर के कमरा नम्बर 121 में प्रस्तुत करना होगा।

8. एक अभ्यर्थी एक ही जिले के लिये आवेदन कर सकेगा। यदि अभ्यर्थीयों द्वारा आवेदन एकं से अधिक जिलों में किया जाता है तो ऐसे आवेदक की जानकारी मिलने पर उनका अनुंबध (Contract) समाप्त किया जा सकेंगा।
9. भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार सलाहकार (Consultant) व तकनीकी सहायक (Technical Assistant) से कार्य कराया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत सलाहकार/ तकनिकी सहायक/ लेखाकार की सेवाएं संविदा पर लिये जाने हेतु सेवानिवृत कार्मिकों से भरे जाने वाले अस्थायी पदो की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।
10. आरक्षण :– मिशन अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्धारित पद नही होने तथा संविदा पर रखे जाने के कारण चयन के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नही होगा।
11. संविदा की अवधि :– चयनित सलाहकार (Consultant) व तकनीकी सहायक (TA) की कार्य अवधि वर्तमान में एक वर्ष अथवा परियोजना/मिशन की अवधि समाप्त होने में से जो भी पहले हो, तकहोगी। परन्तु कार्य की एक वर्ष गुणवता/कार्यक्षमता/कार्य की आवश्यकता नही होने पर अथवा/भारत सरकार/ राज्य सरकार/विभाग द्वारा प्रशासनिक/वित्तिय कारणो के आधार पर संविदाकर्मी का अनुबन्ध (Contract) बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही दोनो की आपसी सहमति से आगे बढाई जा सकती है।
12. अनुबंध की मुख्य एवं अन्य शर्तें :– अनुबन्ध की मुख्य एवं अन्य शर्तें व अनुबन्ध पत्र आदि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ.17(10) डीओपी/ए–।।/94 दिनांक 26 मई 2014 के अनुसार (संलग्न परिशिष्ट – 4) होगी।
13. केवल ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जो विगत पाँच वर्ष के दौरान सेवानिवृत हुये है और जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नही की है, पुनर्नियुक्ति संविदा सेवायें लेने हेतु विचार किया जायेगा।
14. सेवानिवृत कार्मिक जिनके सेवाभिलेख खराब हो, सी.सी.ए. नियमों के तहत् दण्डित किया गया हो, सेवा से अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त किये गये हो तथा न्यायिक/ अपराधिक कार्यवाही से दण्डित किये गये हो, संविदा पर रखने हेतु पात्र नही होगें।
15. पारिश्रमिक :–सेवानिवृत कार्मिको को पारिश्रमिक कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.14 के अनुसार दिया जायेगा। जिसका विवरण परिशिष्ठ–4 (क) पर उपलब्ध है। उक्त परिशिष्ठ–4 (क) में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नही होगी।
16. संविदा पद के लिये उच्च पद से सेवानिवृत अधिकारी का चयन होता है तो परिशिष्ठ–4 (क) में दर्शित समेकित पारिश्रमिक या भारत सरकार से मिशन अन्तर्गत निर्धारित मानदेय, जो भी कम हो देय होगा। किसी भी स्थिति में संबंधित पद के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदेय से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नही होगा। लेखाकार के लिये चयनित कार्मिक को मिशन अन्तर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी सहायक के लिये निर्धारित मानदेय से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नही होगा।

17. संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 1 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें। वे राजस्थान सेवा अधिनियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नही होगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30वा भाग काटा जायेगा।
18. संविदाकर्मियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार देय होगा।
19. संविदा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
20. राज्य स्तरीय सलाहकार, तकनिकी सहायक एवं लेखाकार तथा जिला स्तरीय सलाहकार एवं तकनीकी सहायक के कार्यो का विवरण परिशिष्ठ–2 पर संलग्न है।

क्र.सं.	राज्य / जिला	सलाहकार	तकनीकी सहायक	लेखाकार
अ	राज्य स्तरीय	2	3	1
ब	जिला स्तरीय			
1	अजमेर	1	1	
2	अलवर	1	2	
3	बांरा	1	2	
4	बांसवाड़ा	1	1	
5	बाड़मेर	1	2	
6	भीलवाड़ा	1	0	
7	बीकानेर	1	2	
8	बून्दी	1	2	
9	चितौड़गढ़	1	1	
10	चुरु	1	1	
11	डूंगरपुर	1	2	
12	गंगानगर	1	2	
13	हनुमानगढ़	1	2	
14	जयपुर	1	2	
15	जालौर	1	1	
16	झालावाड़	0	1	
17	झुझंनु	1	2	
18	जोधपुर	1	2	
19	जैसलमेर	1	2	
20	करौली	1	2	
21	कोटा	1	0	
22	नागौर	1	1	
23	पाली	1	1	
24	प्रतापगढ़	1	2	
25	सीकर	1	0	
26	सवाई माधोपुर	1	1	
27	सिरोही	1	0	
28	टोंक	1	0	
29	उदयपुर	1	1	
	योग	30	41	1

जिला सलाहकार एवं तकनीकी सहायक हेतु आवश्यक योग्यता एवं अनुभव का विवरण

क.सं.	संविदा पद नाम	योग्यता एवं अनुभव
1.	राज्य स्तरीय सलाहकार	1. पी. एच. डी. (शस्य (Agronomy) / कृषि विस्तार (Agri. Ext.) / मृदा विज्ञान (Soil Science) / पौध प्रजनन (Plant Breeding) / पौध संरक्षण (Plant Protection) / फसल सुधार (Crop Improvement) व कम से कम दस वर्ष का क्षेत्र अनुभव या उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर के साथ फसल उत्पादन में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव 2. रिपोर्टस / सेमीनार नोट्स (Notes) / लिखने, प्रोजेक्टस तैयार करना एवं मिशन के उपलब्ध आकड़ों से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की योग्यता। 3. प्रेरक एवं टीम लीडरशीप की योग्यता (The Person should have ability of team leadership & motivation)
2.	राज्य स्तरीय तकनीकी सहायक	1. एम. एस. सी. (कृषि), फसल प्रबंधन की विशेषज्ञता तथा कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक 2. अनुसंधान एवं विस्तार के अनुभव को प्राथमिकता
3.	लेखाकार (राज्य)	3. बी.कॉम. एवं कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक
4.	जिला सलाहकार	1. एम.एस.सी. (कृषि) शस्य (Agronomy) / कृषि विस्तार (Agri. Ext.) / मृदा विज्ञान (Soil Science) / पौध संरक्षण (Plant Protection) / फसल सुधार (Crop Improvement) 2. प्रेरक एवं टीम लीडरशीप की योग्यता (The Person should have ability of team leadership & motivation)
5.	जिला तकनीकी सहायक	1. बी. एस. सी. (कृषि) के साथ कम्प्यूटर में दक्षता। 2. कृषि में अनुसंधान एवं विस्तार का अनुभव।

क्र.सं.	कार्य विवरण
1	**राज्य सलाहकार –** • राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के संस्थानों और कमोडिटी निदेशालयों के साथ लाईजनिंग करना। • फसल प्रदर्शनों की कार्य योजना तैयार करना एवं मोनिटरिंग करना। भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर आदानों की आवश्यकता का आंकलन करना। • जलवायु,/मौसम संबंधित कारको, कीट व्याधि आदि के परिपेक्ष में उन्नत तकनीक के उपयोग करने से उपज लाभ के कारको का विश्लेषण करना। • मिशन से संबंधित सूचनाओ का दस्तावेजीकरण तथा संकलन करना, कलस्टर प्रदर्शनों के आयोजन में उपयोग में लिये गये विभिन्न घटकों/आदानों का उपज पर प्रभाव का अभिलेख तैयार कर प्रस्तुत करना। • समय–समय पर मिशन के कार्यकलापों का भ्रमण कर उनकी प्रगति का विश्लेषण करना तथा फीडबेक लेना व सफलता की कहानियों को संकलित कर दस्तावेज तैयार करना, फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण हेतु कृषकों के लिये तकनिकी साहित्य तैयार करना। • नेशनल लेवल मोनिटरिंग टीम को आवश्यक सूचनाऐ उपलब्ध कराना, मिशन में कार्यरत कार्मिको को प्रशिक्षण तथा सीड रोलिंग प्लान तैयार करना, मिशन नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर आवंटित कार्य का निष्पादन करना।
2	**तकनीकी सहायक (राज्य स्तर)–** • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत विभिन्न विभागों/जिलों के द्वारा प्रेषित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर विश्लेषण करना। • मिशन से संबंधित गतिविधियों की पत्रावलियों एवं रिकार्ड तथा डेटा का संधारण करना, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति व आउटकम को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई वेबसाईट पर अपलोड़ करना मिशन में आयोजित कार्यक्रमों का क्षेत्र भ्रमण करना तथा मिशन नोडल अधिकारी/राज्य स्तरीय सलाहकार द्वारा समय–समय पर आंवटित कार्य का निष्पादन करना।
3	**लेखाकार (राज्य स्तर)–** भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं जिलों को हस्तान्तरित एवं व्यय से संबंधित सूचनाओं का संकलन, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाना, ऑडिट आक्षेप की पूर्ति कराना, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना तथा लेखा संबंधित आवंटित समस्त कार्य सम्पादन करना।
4	**जिला स्तरीय सलाहकार–** • जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र व अन्य कृषि अनुसंधान संस्थाओं के साथ सम्पर्क रखना, जिले की कृषि से संबंधित सभी सूचनाओं को संधारण करना जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रदर्शनों एवं कृषक प्रशिक्षणों की कार्य योजना बनाना व निरीक्षण करना तथा प्रदर्शन के विभिन्न आदानों/घटकों का उपज पर विश्लेषण करना । • सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण कर दस्तावेज में सम्मलित करना, उपनिदेशक (कृषि) वि0 द्वारा समय–समय पर आंवटित कार्य का निष्पादन करना। • आदानों की आवश्यकता का आंकलन करना, जलवायु/मौसम संबंधी कारको, कीट व्याधि व उपज के आंकड़ों को जिला व राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना, जिले के कृषि अधिकारियों एवं राज्य स्तरीय सलाहकार से सलाह लेते हुये जिले के कृषकों के लिये साहित्य तैयार करना, मिशन की फसलों का जिले के कृषि विस्तार

क्र.सं.	कार्य विवरण
	कार्यकर्त्ताओं को उन्नत फसल तकनीक का प्रशिक्षण देना, मिशन के विभिन्न घटकों के फसल पर प्रभाव का विश्लेषण करना, जिले की मिशन संबंधी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करना।
5	**जिला स्तरीय तकनीकी सहायक–** • फसल प्रदर्शनों का आयोजन करना, जिला सलाहकार को आवंटित कार्यो में सहयोग करना, फसल स्थिति की मानिटरिंग कीट एवं बिमारियों के प्रकोप आदि से संबंधित रिपोटिंग तैयार करने में जिला सलाहकार को सहयोग प्रदान करना। • मिशन अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम की मासिक प्रगति को तैयार करना तथा कृषि मंत्रालय भारत सरकार की वेवसाइट पर अपलोड करना तथा उपनिदेशक कृषि (वि0) द्वारा समय–समय पर आंवटित कार्य का निष्पादन करना।

परिशिष्ट

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर, दिनांक 26 MAY 2014

परिपत्र

विषयः–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखने के संबंध में कार्मिक विभाग के समसंख्यक ज्ञापन (Memorandum) दिनांक 31.10.1995 एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के अतिक्रमण में मंत्रिमण्डलीय आज्ञा क्रमांक 251/2013 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के अनुक्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 27.09.2013 के तहत जोडे गये राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–164A के अनुक्रम में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, संस्थाओं जिनके लिए सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति कर सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा संस्थाओं की रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति हेतु विभाग के प्रशासनिक सचिव के द्वारा संवर्ग नियंत्रक अधिकारी की राय/सहमति के पश्चात कार्मिक विभाग और वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल उन पदों के विरूद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु :–

(i) राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में सेवाएं लेने हेतु संबंधित प्रशासनिक सचिव सक्षम प्राधिकारी होगा।

(ii) विभागाध्यक्ष, अधीनस्थ सेवाओ और मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी काडर में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(iii) संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी स्तर की रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

12/2014

(3) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष की आयु से कम या कर्मचारी शारीरिक रूप से (चिकित्सकीय रूप से) उपयुक्त रहने तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे।

(5) सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ठ – 'क' के अनुसार होगी।

उक्त परिशिष्ठ –'क' में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।

(6) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो विगत पांच वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(7) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी से ठीक उच्चतर अधिकारी की अनुज्ञा से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

(8) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (परिशिष्ठ–'ख')

(9) संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

(10) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(11) संविदा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।

(12) संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।

(13) संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101400500 दिनांक 21.05.2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

संयुक्त शासन सचिव

सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिये जाने पर समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :–

क्रम सं.	वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में वेतन बैण्ड + ग्रेड पे	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	5100
2	4750–7440+ग्रेड वेतन 1400	
3	4750–7440+ग्रेड वेतन 1650	
4	5200–20200+ग्रेड वेतन 1700	
5	5200–20200+ग्रेड वेतन 1750	
6	5200–20200+ग्रेड वेतन 1800	
7	5200–20200+ग्रेड वेतन 1850	
8	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	6800
9	5200–20200+ग्रेड वेतन 2000	
10	5200–20200+ग्रेड वेतन 2100	
11	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	
12	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800	
13	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200	9000
14	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600	
15	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200	12000
16	9300–34800+ग्रेड वेतन 4800	
17	9300–34800+ग्रेड वेतन 5400	15000
18	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400	
19	15600–39100+ग्रेड वेतन 6000	18000
20	15600–39100+ग्रेड वेतन 6600	20000
21	15600–39100+ग्रेड वेतन 6800	
22	15600–39100+ग्रेड वेतन 7200	23000
23	15600–39100+ग्रेड वेतन 7600	
24	15600–39100+ग्रेड वेतन 8200	
25	37400–67000+ग्रेड वेतन 8700	26000
26	37400–67000+ग्रेड वेतन 8900	
27	37400–67000+ग्रेड वेतन 9500 नई ग्रेड पे	30000
28	37400–67000+ग्रेड वेतन 10000	

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित समेकित पारिश्रमिक सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि कम करने पर रही शेष राशि से अधिक नहीं होगा।

परिशिष्ट–'ख'

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाऐं लेने के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. .....दिनांक..... .....द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री .....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... .....(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है :

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध–न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।
2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।
3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।
4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... .....का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन प्रति मास .....रु. पर नियत की गई हैं कि समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) में से मूल पेंशन राशि कम करने पर अवशेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तदनुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

7. द्वितीय पक्षकार एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।
8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
10. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हों।
12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

साक्षी:

1.

2.

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.....दिनांक..... .....में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर:

दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

सलाहकार /तकनीकी सहायक के रुप में सेवानिवृत कार्मिको के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाये लेने के लिये आवेदन प्रारुप

1. सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम –
2. पिता का नाम –
3. जन्मतिथी –
4. योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न) –
5. मूल विभाग का नाम –
6. सेवानिवृत्त के पूर्वधारित पद –
7. अनुभव –
8. सेवानिवृत्त के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन ग्रेड पे) – (एलपीसी संलग्न है)
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) –
10. धारित पद का वेतनमान (सेंवानिवृत्ति के समय) –
11. विभागीय/कार्यालय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र –

सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा प्रस्तुत वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.पं..... दि..... में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने के इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान

दिनांक

सेवानिवृत्त कार्मिक के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सेवानिवृत्ति से पूर्व ..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था/रही थी, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। उक्त कार्मिक की सेंवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था/रही थी, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नही है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सेवानिवृत्ति से पूर्व ..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था/रही थी, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। उक्त कार्मिक की सेंवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था/रही थी, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नही है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील